न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी कमर उल जमान चौधरी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 10/2015/अपील

रामेश्वर पुत्र फुसाराम, जाति हरिजन, निवासी वार्ड नं. 7, गोकुलपुरा, तहसील व जिला सीकर (राज.)

—अपीलान्ट

बनाम

1. गोविन्दराम पुत्र गणपतराम, जाति बलाई, निवासी वार्ड नं. 7, गोकुलपुरा, तहसील व जिला सीकर (राज.)
2. तहसीलदार सीकर

—रेस्पोडेन्ट्स

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

उपस्थितः—

1. श्री संदीप माथुर, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1 की ओर से।

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1560 निर्णय दिनांक 28.04.2014 द्वारा तहसीलदार सीकर अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 204, 205 ग्राम गोकुलपुरा, तहसील व जिला सीकर, राज.

निर्णय

दिनांकः 13 अगस्त, 2024

1. अपीलांट **रामेश्वर** की ओर से यह अपील वकील **श्री संदीप माथुर** द्वारा नामान्तकरण संख्या 1560 निर्णय दिनांक 28.04.2014 द्वारा तहसीलदार सीकर अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 204, 205 ग्राम गोकुलपुरा, तहसील व जिला सीकर, राज. के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैं:—

   (1) तहसील सीकर के ग्राम गोकुलपुरा में अपीलांट के पिता फुसाराम पुत्र सुरजाराम जाति हरिजन के कब्जे, खाते व अधिकार की कृषि भूमि खसरा नम्बर 204 रकबा 0.04 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 205 रकबा 1.60 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.64 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। अपीलांट के पिता फुसाराम की मृत्यु दिनांक 17.01.2008 को हो चुका है। उनकी मृत्यु उपरांत उक्त चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये खोला गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

कमर चौधरी 1
जिला कलक्टर, सीकर

(2) उक्त चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण जिस गोदनामें के दस्तावेज के आधार पर खोला गया उक्त गोदनामा की वैधता तथा हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार उक्त गोद की सत्यता की जांच किये बिना खोला गया है। अपीलांट पूर्व से ही फुसाराम के पुत्र की हैसियत से अवस्थित चला आ रहा है। हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के वर्णित प्रावधान के अनुसार पूर्व से पुत्र जैविक हो या दत्तक हो के रहते हुए द्वितीय दत्तक पुत्र ग्रहण करने का प्रावधान नहीं है। कथित गोदनामा अपीलांट को सम्पत्ति से वंचित करने की दुर्भावना से ग्रसित होकर तैयार करवाया गया है।

(3) दिनांक 30.05.2005 के कथित गोदनामा के आधार पर चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण खोला गया है, उसे प्रभावहीन एवं शून्य घोषित करवाये जाने के लिए न्यायालय सिविल न्यायाधीश सीकर के यहां उनवानी वाद रामश्वरलाल बनाम गोविन्दराम आदि दिनांक 14.02.2008 से लम्बित चला आ रहा है। सिविल न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में रेस्पो. सं. 1 ने दिनांक 30.05.2005 को गोदनामा के द्वारा गोद लेने के तथ्य अंकित किये हैं। दिनांक 30.05.2005 को रेस्पो. सं. 1 की उम्र 36 वर्ष थी तथा वह शादीशुदा था। हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार 15 वर्ष से अधिक का और अथवा विवाहित व्यक्ति ना तो गोद दिया जाता है और ना ही लिया जाता है। कथित गोदनामा पर गोददाता माता पिता की अभिस्वीकृति भी अंकित नहीं है। सम्पूर्ण कार्यालय व संस्थान में रेस्पो. की वल्दियत गणपतराम की ही चली आ रही है।

(4) अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा भरे गये नामान्तरकरण संख्या 1560 निर्णय दिनांक 28.04.2014 अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 204, 205 ग्राम गोकुलपुरा निरस्त किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को जरिए नोटिस तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

3. रेस्पो. संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए।

4. बहस उभयपक्ष की सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलांट ने अपील आवेदन में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि, दिनांक 30.05.2005 के कथित गोदनामा के आधार पर उक्त चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 1560 निर्णय दिनांक 28.04.2014 अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 204, 205 ग्राम गोकुलपुरा खोला

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

गया है, उक्त कथित गोदनामा पर गोद लेने वाले के हस्ताक्षर कराये गये हैं, गोददाता माता पिता की अभिस्वीकृति अंकित नहीं है। वोटर लिस्ट आदि समस्म दस्तावेजों में रेस्पो. सं. 1 के पिता का नाम गणपतराम अंकित है। विधि में वर्णित प्रावधानों के अनुसार गोद जाने वाले पुत्र की आयु 15 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए जबकि गोदनामा की दिनांक के दिन रेस्पो. सं. 1 शादीशुदा था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर कथित गोदनामा के आधार पर भरे गये चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 1560 निर्णय दिनांक 28.04.2014 अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 204, 205 ग्राम गोकुलपुरा को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

वकील रेस्पो. ने कथन किया है कि, रेस्पो. के नाम बने रजिस्टर्ड गोदनामा को सिविल न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसे सिविल ल्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। अपीलांट के द्वारा सिविल न्यायालय के आदेश के विरूद्ध की गई प्रथम अपील को भी सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। अब प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया जिससे निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं:–
   (1) चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 1560 निर्णय दिनांक 28.04.2014 अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 204, 205 ग्राम गोकुलपुरा रेस्पो. के नाम से बने गये रजिस्टर्ड गोदनामा के आधार पर भरा गया है।
   (2) रेस्पो. द्वारा दौराने बहस किये गये कथनानुसार उक्त गोदनामा से सम्बन्धित प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जिसे अपीलांट ने इस न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया है।
   (3) माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन रहते हुए यह न्यायालय प्रकरण में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट **खारिज** की जाती है।

7. निर्णय आज दिनांक **13 अगस्त, 2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलेक्टर, सीकर

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर